बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

दिनांक–01.04.2020
समय–08:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:–

1. राज्य के शहरी इलाकों में निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये कुल 128 आपदा राहत केन्द्र संचालित किये गये, जिसमें आवासन के साथ–साथ भोजन की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त आपदा राहत केन्द्रों में आज लगभग 9800 लोगों को भोजन कराया गया है। आपदा राहत केन्द्र में social distancing का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया।

2. Lockdown के दौरान अन्य राज्यों में रह रहे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000/– रू0 प्रति परिवार की दर से राशि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मोबाईल ऐप डाउनलोड करने के लिये www.aapda.bih.nic.in पर एक लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से लाभुक ऐप पर स्वयं को पंजीकृत कर सकेंगे। राज्य के बाहर रह रहे बिहारी मजदूरों/ जरूरतमंद व्यक्तियों के द्वारा lockdown से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में राज्य के विभिन्न हेल्पलाईन नम्बरों पर सहायता हेतु सम्पर्क किया गया है। ऐसे प्राप्त सभी मोबाईल नम्बर पर यह लिंक उपलब्ध कराया गया है।

3. 10 मार्च के पश्चात विदेश एवं अन्य राज्यों से यात्रा कर बिहार लौटे यात्रियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है एवं quarantine के दृष्टिकोण से उनका tracking **गरूड़ ऐप** के द्वारा कराया जा रहा है।

4. राज्य में लागू lockdown के आलोक में सरकारी आदेश का उलंघन करने पर आज कुल 93 FIR दर्ज कराया गया है। साथ ही कुल 1428 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है।